भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 749

उत्तर देने की तारीख : 04.12.2025

"उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र"

749. सुश्री कंगना रनौतः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा जारी एमएसएमई 'उद्यम' पंजीकरण पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और कुटीर उद्योगों के लिए बैंकों में चालू खाते खोलने हेतु एक वैध दस्तावेज है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) उन बैंकों का ब्यौरा क्या है, जहां चालू खाते खोलने के लिए 'उद्यम' प्रमाणपत्र स्वीकार किया जाता है/नहीं किया जाता है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार सभी बैंकों को एमएसएमई पंजीकरण 'उद्यम' को चालू खाते खोलने हेतु एक वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता देने के निर्देश जारी कर सकती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ) : भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार- ग्राहक के उपभोक्ता अनुकूल अपेक्षित प्रयास (स्वामित्व) के अलावा, स्वामित्व फर्मों को खाता खोलने के लिए, स्वामित्व फर्म के नाम पर व्यवसाय/कार्य के प्रमाणन के रूप में, आरबीआई के दिनांक 28.11.2025 के वाणिज्यिक बैंक केवाईसी निदेश, 2025 में निर्धारित आठ दस्तावेजों में से कोई भी दो दस्तावेज प्रदान करना अपेक्षित है। उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) कोई आधिकारिक सत्यापित दस्तावेज (ओवीडी) नहीं है, इसके अतिरिक्त, यह स्वामित्व फर्म से प्राप्त किए जाने वाले व्यवसाय/कार्य के प्रमाणन हेतु आठ दस्तावेजों में से एक है। बैंक व्यावसायिक कार्य के रूप में केवल एक दस्तावेज (यूआरसी सहित) स्वीकार करते हैं, उक्त निदेशों के अनुसार, बैंक को संपर्क बिंदु सत्यापन करने, व्यवसाय की पुष्टि करने के लिए अन्य जानकारी एकत्र करने और दिए गए पते से व्यावसायिक कार्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है।

केवाईसी निदेश, 2025 के अनुसार यूआरसी से संबंधित निदेश वाणिज्यिक बैंकों (सीबी), शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी), ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), भुगतान बैंकों (पीबी), और स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) पर लागू होते हैं। उपरोक्त निदेशों में निहित निर्देश, उक्त बैंकों द्वारा दर्ज किए गए सभी खाता-आधारित संबंधों पर लागू होते हैं और हमने छोटे खातों को छोड़कर किसी भी खाता प्रकार (जैसे चालू खाता या बचत खाता आदि) के लिए कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किए हैं।

******